

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरूला, नयायाधिपती)

बी.एस.जी.

नागरिक विविध

आर.एस. नरूला और बल राज तुली, नयायाधिपती के सामने

नजर सिंह सरवन सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि। -प्रतिवादी।

1971 की सी सिविल रिट संख्या 3336।

29 नवंबर 1971.

पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम (1952 का XVI, 1952 के अधिनियम XXI द्वारा संशोधित) - धारा 4 का पहला प्रावधान - पंजाब यात्री और माल कराधान नियम (1952) - नियम 9 - पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम (1924 का IV) - धारा 7(ए)(बी)-भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 304-राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना विधानमंडल में पेश की गई धारा 4 में पहला प्रावधान जोड़ने वाला संशोधन अधिनियम-ऐसा प्रावधान-चाहे उस स्कोर पर अमान्य हो-विकल्प प्रदान किया गया परंतुक द्वारा-क्या धारा 7(ए)(बी) के मद्देनजर मजबूरी में परिवर्तित किया जा सकता है और रद्द किया जा सकता है।

निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना 1952 के संशोधन अधिनियम 21 द्वारा अधिनियमित धारा 4, पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 का पहला प्रावधान वैध है क्योंकि ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी। प्रावधान किसी भी तरह से अंतर-राज्य व्यापार या यहां तक कि अंतर-राज्य, वाणिज्य और संभोग में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(पैरा 2)

निर्धारित किया गया कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 की धारा 7ए का खंड (बी) केवल उन मामलों पर लागू होता है जो पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1992 की धारा 4 के प्रावधान और नियम 9 के पहले प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, पंजाब पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन रूल्स, 1952 और धारा 4 के दायरे और नियम 9 के दायरे में आने वाले मामलों के लिए नहीं। इसका परिणाम यह है कि जिन ट्रक ऑपरेटरों या मालिकों ने एकमुश्त माल कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है धारा 4 के प्रावधान के तहत और नियम 9 के पहले प्रावधान के तहत एकमुश्त कर का भुगतान करना चाहते हैं, तो माल कर अधिकारियों से निकासी प्रमाण पत्र

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरूला, नयायाधिपती)

प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से कर का भुगतान करना होगा और इसे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मोटर वाहन कराधान अधिनियम और उस विशेष में कर के भुगतान के लिए टोकन प्राप्त करने का हकदार होने से पहले संबंधित तिमाही के संबंध में भुगतान किए गए माल कर के बारे में अधिनियम की धारा 7 ए (बी) के अनुसार आवश्यक उन अधिकारियों को संतुष्ट करना तिमाही। ऐसे व्यक्ति के लिए अग्रिम माल कर का भुगतान करना आवश्यक नहीं है जो यात्री और माल कराधान अधिनियम की धारा 4 के दायरे में नियमों के नियम 9 के दायरे में प्रदान किए गए तरीके से कर का भुगतान करना चाहता है क्योंकि यह असंभव होगा। उसे ऐसा करने के लिए मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को किसी भी तिमाही के लिए कर के भुगतान के लिए टोकन जारी करने से इस आधार पर इनकार करने के हकदार नहीं हैं कि उसने उस तिमाही के लिए अग्रिम माल कर का भुगतान नहीं किया है। इस अधिनियम की धारा 7ए(बी) लागू करने का इरादा नहीं है और यह उन मामलों पर लागू नहीं होती है जिनमें माल कर एकमुश्त आधार पर देय नहीं है। इस प्रकार यात्री और माल कराधान अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त विकल्प मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7ए(बी) की शुरुआत द्वारा एक मजबूरी में परिवर्तित नहीं होता है और इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 4)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला द्वारा 1 नवंबर, 1971 को मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। मामले का निर्णय अंततः 29 नवंबर, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला और माननीय श्री न्यायमूर्ति बल राज तुली की खंडपीठ द्वारा किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को समग्र पंजाब के शामिल क्षेत्र में याचिकाकर्ता के वाहन के संचालन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हुए 'प्रमाणपत्र, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और उत्तरदाताओं को समान परमिट शुल्क, यानी 333रु लेने का निर्देश भी दिया जाए, केवल जैसा कि पंजाब के पुनर्गठन से पहले वसूला जा रहा था और माल-कर की बढ़ी हुई दर की वसूली को रद्द कर दिया और आगे प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता के वाहन के संचालन में हस्तक्षेप करने और किसी भी माल-कर को चार्ज करने से लंबित रहने के दौरान, टोल, प्रवेश शुल्क या अन्य समान शुल्क चार्ज करने से रोका जाए।

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरूला, नयायाधिपती)

याचिकाकर्ता के वकील हरबंस लाल।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए जे.एन. कौशल, महाधिवक्ता (हरियाणा), नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी के साथ।

प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के लिए मेला राम शर्मा, वरिष्ठ उप-अधिवक्ता (पंजाब)।

आनंद सरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता (केवल 29 नवंबर, 1971 के लिए), और आई. एस. बलहारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:-

नरूला, नयायाधिपती 1) नज़र सिंह, सरवन सिंह, याचिकाकर्ता (इसके बाद एकवचन में याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित), भारी परिवहन वाहन (ट्रक) नंबर .पी.यू.सी. 9314 के मालिक ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी, संगरूर (उत्तरदाताओं (क्रमशः 1 से 4) को पूर्ववर्ती मिश्रित पंजाब में शामिल क्षेत्र में उनके ट्रक के संचालन में हस्तक्षेप करने और 333 रुपये से अधिक का परमिट-शुल्क वसूलने से, जैसा कि 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले लगाया जा रहा था। उन्होंने माल कर की बढ़ी हुई दर को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की है। हालाँकि, परमिट-शुल्क के संबंध में दावे और माल कर की बढ़ी हुई दर के बारे में शिकायत के संबंध में याचिका की सुनवाई में कोई तर्क नहीं दिया गया। सिंगल बेंच में मेरे सामने केवल दो आधार रखे गए थे और वही फिर डिवीजन बेंच में हमारे सामने रखे गए हैं। दोनों आधार पंजाब पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट (1952 का 16) (इसके बाद मूल अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 के पहले प्रावधान की वैधता और प्रवर्तनीयता से संबंधित हैं, जिसे 15 अक्टूबर 1952, को मूल अधिनियम में पेश किया गया था। 1952 के पंजाब अध्यादेश 2 द्वारा, जिसे बाद में पंजाब यात्री और माल कराधान (संशोधन) अधिनियम (1952 का 21) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पहला आधार जिस पर प्रावधान की वैधता पर हमला किया गया है, वह यह है कि संविधान का अनुच्छेद 304 के प्रावधान के तहत संशोधन अधिनियम का विधेयक "राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना" पंजाब विधानमंडल में पेश या स्थानांतरित किया गया था। श्री हरबंस लाई ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 30 अगस्त, 1952 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने वाला मुख्य अधिनियम, प्रावधानों के कारण 1 अगस्त, 1952 को लागू होने के बावजूद वैध था। संविधान के अनुच्छेद 255(सी) के बावजूद, मुख्य अधिनियम से अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरुला, नयायाधिपती)

स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होने की संभावना थी। हालाँकि श्री हरबंस लाल ने **सगीर अहमद और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य**¹ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधिकार पर हमारे सामने बहस के पहले दिन दलील दी थी, कि बाद की सहमति एचएन अधिनियम को मान्य नहीं कर सकती है जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। उन्होंने **जवाहरमल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**² में सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष फैसले के मद्देनजर आज उस बिंदु को छोड़ दिया। **सगीर अहमद के मामले (1)** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 30 में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 31 की अंतिम पंक्तियों में दिए गए बयान में पार्टियों की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा न्यायाधीशों के समक्ष रखे गए संभावित विचारों में से एक का पुनरुत्पादन मात्र शामिल है। किसी भी घटना में, कानून के प्रावधान जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जवाहरमडल के मामले (2) में काम कर रहे थे, हमारे सामने याचिकाकर्ता के हमले के विषय-वस्तु के लगभग समान होने के कारण, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 255 इस मामले पर लागू होता है।

(2) मूल अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यात्री और माल कर मोटर वाहन के मालिक द्वारा एकत्र किया जाएगा और निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा। पंजाब यात्री और माल कराधान (संशोधन) अध्यादेश (1952 का 2) के खंड 2 में धारा 4 के पहले प्रावधान के रूप में निम्नलिखित जोड़ा गया: -

"बशर्ते कि सार्वजनिक वाहकों के मामले में सरकार निर्धारित तरीके से माल ढुलाई पर लगने वाले कर के बदले में एकमुश्त राशि स्वीकार कर सकती है।"

अध्यादेश को पंजाब यात्री और माल कराधान (संशोधन) अधिनियम (1952 का 21) की धारा 3 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो 26 नवंबर, 1952 को लागू हुआ। संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, ऊपर दिए गए समान प्रावधान को धारा 4 में जोड़ा गया था। उपरोक्त संशोधन करने के उद्देश्यों और कारणों के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रक मालिकों ने सरकार को बताया कि वे अशिक्षित हैं, उनके लिए मूल अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित खाते बनाए रखना और रसीदें जारी करना आदि मुश्किल होगा, और यह उनकी मांगों को पूरा करने के लिए था कि सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया ताकि ट्रक ऑपरेटरों से एकमुश्त आधार पर कर की वसूली की जा सके। अध्यादेश उस उद्देश्य के साथ प्रख्यापित किया गया था, और अधिनियम का उद्देश्य अध्यादेश को (पंजाब गजट, असाधारण, दिनांक 21 अक्टूबर, 1952

¹ AIR 1972 SC 728 (paragraph 31)

² AIR 1966 SC 764

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरूला, नयायाधिपती)

में प्रकाशित उद्देश्यों और कारणों के विवरण के माध्यम से) प्रतिस्थापित करना था। परंतुक को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि इसका कोई भी भाग संभवतः अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में हस्तक्षेप या प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नयायाधीश ने पहले ही **मेसर्स सैनिक मोटर्स, जोधपुर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य**³ मामले में माना है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान अधिनियम (1959 का 18) में बिल्कुल समान प्रावधान, प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाता है। इसके तहत बनाया गया नियम अनिवार्य नहीं था, लेकिन करदाता को एक विकल्प प्रदान करता था। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त प्रावधान लागू किए जाने के आधार पर प्रावधान पर याचिकाकर्ता के हमले के जवाब में, उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया है कि ऐसी कोई पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं थी। हम इस संबंध में उत्तरदाताओं से सहमत हैं क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान, हमारी राय में, अंतर-राज्य व्यापार या यहां तक कि अंतर-राज्य व्यापार, वाणिज्य और संभोग में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए, श्री हरबंस लाई द्वारा आग्रह किया गया पहला आधार विफल हो जाता है।

(3) प्रावधान पर दूसरा हमला उस बिंदु से शुरू होता है जहां पहला खत्म होता है। यह तर्क दिया गया है कि जबकि मूल अधिनियम के तहत बनाए गए मूल पंजाब यात्री और माल कराधान नियम, 1952 (इसके बाद 1952 नियम कहा जाता है) में यह प्रावधान किया गया था कि एकमुश्त माल कर का भुगतान समापन के पंद्रह दिनों के भीतर किया जा सकता है। प्रत्येक तिमाही, उस प्रावधान वाले नियम 9 के दूसरे परंतुक को 1964 में संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एकमुश्त राशि तिमाही के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर समान त्रैमासिक किशतों में देय होगी। पंजाब में लागू नियम 9 को संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"कर के भुगतान की विधि। - कर का भुगतान निम्नलिखित तरीकों में से एक में किया जाएगा: -

(i) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्रभावित, उभरा हुआ, उत्कीर्ण या चिपकने वाला स्टॉप (पहले से उपयोग नहीं किया गया) के साथ टिकट या रसीद पर मुहर लगाकर और यह दर्शाते हुए कि देय कर का भुगतान कर दिया गया है।

(ii) जहां अंकित, उभरा हुआ, उत्कीर्ण या चिपकने वाला टिकट उपलब्ध नहीं है या आयुक्त ऐसा निर्देश देता है, देय कर की राशि मालिक द्वारा ऐसे अंतराल पर और ऐसे तरीके से सरकारी

³ A.I.R. 1961 S.C. 1480.

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरूला, नयायाधिपती)

खजाने में नकद में जमा की जाएगी जैसा कि नियम 17, 18, 19, 20 एवं 22 के तहत निर्धारित किया गया है:-

बशर्ते कि सार्वजनिक वाहक का मालिक राज्य सरकार को माल दुलाई पर लगने वाले कर के बदले में निम्नलिखित एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है: -

(ए) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत पहाड़ी मार्गों पर या आसपास के राज्यों में अधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षर के तहत चलने वाले वाहन को छोड़कर प्रति वाहन 1,215 रुपये प्रति वर्ष।

(बी) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत पहाड़ी मार्गों पर या आसपास के राज्यों में अधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षर के तहत चलने वाले प्रति वाहन 1,820 रुपए प्रति वर्ष।

(सी) केवल पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर चलने वाले प्रति वाहन 200 रु.

(डी) सार्वजनिक वाहक परमिट के साथ चलने वाले प्रति ट्रैक्टर 450 रुपए प्रति वर्ष।

(ई) सार्वजनिक वाहक परमिट के साथ चलने वाले प्रति टेम्पो रिक्शा 610 रुपए प्रति वर्ष।

बशर्ते कि उक्त राशि मालिक द्वारा सरकारी खजाने में नकद जमा की जाएगी या सहायक खजाना नियमों के नियम 25 के तहत नोट 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मूल्यांकन प्राधिकारी के पक्ष में रेखांकित चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा। उक्त राशि उस तिमाही के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर समान त्रैमासिक किस्तों में देय होगी, जिससे भुगतान संबंधित है और मूल्यांकन प्राधिकारी फॉर्म पी.टी.टी. 5-ए के तहत उसके हस्ताक्षरों को प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में एक निकासी प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। इन त्रैमासिक किस्तों का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(ए) सितंबर, 1952 के लिए, कर का भुगतान एक महीने के लिए किया जाएगा और उसके बाद 1 अक्टूबर, 1952 से त्रैमासिक भुगतान किया जाएगा।

(बी) जहां सार्वजनिक वाहक के मालिक ने पूरे कैलेंडर तिमाही के लिए अपना वाहन नहीं चलाया है और पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 के तहत सक्षम प्राधिकारी से एक आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, कि उसे उक्त तिमाही के कर के भुगतान से छूट दी गई है, उस तिमाही के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

(सी) सार्वजनिक वाहक का मालिक जैसे ही उसका वाहन उपयोग से बाहर हो जाता है, संबंधित मूल्यांकन प्राधिकारी को सूचित करेगा। यदि तिमाही के दौरान वाहन को सड़क पर उतारा जाता है तो इस आशय की सूचना संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी को तुरंत भेजी जाएगी।

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरुला, नयायाधिपती)

(डी) यदि निकटवर्ती राज्य में किसी वाहन को अस्थायी रूप से चलाने के लिए परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, तो परमिट रखने वाले सार्वजनिक वाहक का मालिक इस तथ्य को उस जिले के मूल्यांकन प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसमें वाहन पंजीकृत है।

(ई) जब पंजीकरण के जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कर जमा किया जाता है, तो परमिट रखने वाले सार्वजनिक वाहक के मालिक को ऐसे जमा के एक सप्ताह के भीतर, दूसरे जिले में किए गए जमा का विवरण, आदि उस जिले का निर्धारण प्राधिकारी जिसमें वाहन पंजीकृत है को सूचित करना होगा।

बशर्ते कि नीचे वर्णित अनुबंध गाड़ी का मालिक राज्य सरकार को किराए पर लगने वाले कर के बदले में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है: -

रु.

(ए) स्कूटर रिक्शा (दो सीटर)	272 प्रति वर्ष
(बी) मोटर साइकिल रिक्शा (चार सीटर)	340 प्रति वर्ष
(सी) टेंपो रिक्शा (छह सीटर)	610 प्रति वर्ष
(डी) चलने वाली टैक्सी को छोड़कर कालका-शिमला, पठानकोट पर डलहौजी, कुल्लू-मनाली, होशियारपुर-भरवाई और भरवाई-नंगल मार्ग	408 प्रति वर्ष
(ई) टैक्सी स्टेट वैगनों को छोड़कर जो ऊपर उल्लिखित मार्गों पर चल रही हैं	544 प्रति वर्ष.

एकमुश्त राशि 1 अप्रैल, 1966 से शुरू होने वाली तिमाही से समान त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। सार्वजनिक वाहकों से संबंधित शर्त (ए) को छोड़कर दूसरे प्रावधान के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ अनुबंध गाड़ियों पर लागू होंगे।“

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस स्तर तक भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि ऑपरेटर में कुछ भी गलत नहीं है, जिसने या तो ऐसा कहकर या आचरण से विकल्प चुना है एकमुश्त कर का भुगतान, तिमाही की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर कर का भुगतान करने के बजाय प्रत्येक तिमाही की शुरुआत के तीस दिनों के भीतर कर का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम (1924 का 4) (इसके बाद इसे कराधान अधिनियम कहा जाएगा) में संशोधन द्वारा धारा 7-ए (बी) के रूप में निम्नलिखित प्रावधान की शुरुआत करके, विकल्प 1952 की धारा 4 के परंतुक द्वारा ऑपरेटरों पर प्रदत्त अधिनियम को एक बाध्यता में परिवर्तित कर दिया गया है: -

"इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी,-

(ए) मोटर वाहन के संबंध में धारा 7 के तहत कोई लाइसेंस नहीं, जैसा कि पंजाब यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित किया गया है, लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा। उस अधिनियम के तहत ऐसे मोटर वाहन के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया है, और यदि उस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द या निलंबित कर दिया गया है, तो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द या निलंबित माना जाएगा, जैसा भी मामला हो; और

(बी) इस अधिनियम के तहत किसी भी त्रैमासिक अवधि के लिए कर के भुगतान के लिए किसी भी व्यक्ति को खंड (ए) में निर्दिष्ट मोटर वाहन के संबंध में कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि टोकन जारी करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी त्रैमासिक अवधि के लिए ऐसे मोटर वाहन के संबंध में उस अधिनियम के तहत कर का भुगतान किया। “

कराधान अधिनियम की धारा 3(1) प्रत्येक मोटर वाहन पर कर लगाने का प्रावधान करती है। उपधारा (2) उस व्यक्ति पर कर, जो उपयोग के लिए मोटर वाहन रखता है, उसे अदा करने का कर्तव्य बताती है। धारा 4 की उपधारा (2) त्रैमासिक मोटर कर के भुगतान का प्रावधान करती है। धारा 7 में कहा गया है कि प्रत्येक लाइसेंसिंग अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को, जो उसे देय कर की पहली किस्त का भुगतान करता है, एक लाइसेंस प्रदान करेगा और वितरित करेगा जिसमें भुगतान किए गए कर का विवरण और कोई अन्य निर्धारित विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा। धारा 9 के खंड (बी) में यह प्रावधान है कि जो कोई भी कर की किसी भी राशि का भुगतान करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, जिसके लिए वह ऐसे भुगतान के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से एक महीने के भीतर उत्तरदायी है, किसी भी बकाया के अलावा, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कर जो उससे देय हो सकता है, एक जुर्माना जो उस कर की राशि से दोगुना तक बढ़ सकता है

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरूला, नयायाधिपती)

जिसके लिए वह उत्तरदायी है। कराधान अधिनियम के तहत कर का भुगतान प्रत्येक तिमाही के लिए अग्रिम रूप से करना होता है। किसी भी वाहन को वैध रूप से तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके संबंध में उक्त कर का भुगतान नहीं किया गया हो और कर के भुगतान को दर्शाने वाला एक टोकन विंडस्क्रीन या वाहन के अन्य प्रमुख हिस्से पर प्रदर्शित नहीं किया गया हो। श्री हरबंस लाई का तर्क यह है कि भले ही कोई ट्रक ऑपरेटर किसी भी तिमाही के लिए कराधान अधिनियम के तहत अग्रिम रूप से कर का भुगतान करता है, कराधान अधिनियम की धारा 7 ए (बी) जारी करने के लिए अधिकारियों के रास्ते में खड़ी होगी। उसे उस कर के भुगतान के लिए एक टोकन दिया जाएगा, जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी के समक्ष मूल अधिनियम के तहत अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि उसने पहले ही एकमुश्त माल कर का भुगतान कर दिया है। कराधान अधिनियम के तहत टैक्स टोकन सभी वाहनों के लिए आवश्यक है और इसे सभी ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त किया जाना है, चाहे वे नियम 9 के दायरे के साथ पढ़ी गई धारा 4 के दायरे के अनुसार माल कर का भुगतान करना चाहते हों, या वे भुगतान करना चाहते हों। नियम 9 के पहले परंतुक के साथ पठित धारा 4 के परंतुक के अंतर्गत भी ऐसा ही है। श्री हरबंस लाई के अनुसार, एक ऑपरेटर, जो माल और दूरी के आधार पर कर का भुगतान करना चाहता है, और एकमुश्त भुगतान नहीं करना चाहता है, उसे नहीं टोकन दिया जाएगा। उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि वह कराधान अधिनियम के तहत कर के भुगतान के लिए टोकन प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वह कराधान अधिनियम के तहत अधिकारियों को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं होगा कि उसने मूल अधिनियम के तहत है। तिमाही के अंत से पहले प्रश्रगत मोटर वाहन के संबंध में कर का भुगतान कर दिया। इस प्रकार, श्री हरबंस लाई का तर्क है, एकमुश्त आधार पर माल कर का भुगतान ऑपरेटर के लिए वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। यह तर्क दिया गया है कि **मेसर्स सैनिक मोटर्स, जोधपुर और अन्य (3) (सुप्रा)** के मामले में प्रावधान की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर बरकरार रखा था कि करदाता के लिए इसका लाभ उठाना वैकल्पिक था और जैसे ही वह स्थिति बदल जाती है, धारा 4 का परंतुक निरस्त किया जा सकता है। श्री हरबंस लाई के इस तर्क में कोई दम नहीं है। यह मुद्दा **अमर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य⁴** मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष भी उठाया गया था, लेकिन इसे खुला छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां इस पर निर्णय करना आवश्यक नहीं था। यदि कराधान अधिनियम की धारा 7ए(बी) को श्री हरबंस लाई की दलील के अलावा किसी अन्य तरीके से पढ़ना संभव नहीं होता, तो निश्चित रूप से इस तर्क की गहन जांच की आवश्यकता होती। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रावधान को मूल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए 1952 के नियमों के साथ समेटा जा सकता है, और दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जा सकता है।

⁴ I.L.R. (1971) Punjab and Haryana

तीरथ सिंह बनाम बचित्तर सिंह और अन्य⁵ में, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा यह माना गया था कि जहां किसी कानून की भाषा, उसके सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है। अधिनियमन, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय के लिए संभवतः इरादा नहीं किया गया एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। उस सिद्धांत को लागू करना और एक तरफ कराधान अधिनियम की धारा 7 ए (बी) की आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने के लिए और दूसरी ओर मूल अधिनियम के तहत बनाए गए 1952 नियमों के नियम 9 के प्रावधान को सुसंगत बनाने के लिए, और इससे बचने के लिए बेतुकापन, हम मानते हैं कि कराधान अधिनियम की धारा 7ए का खंड (बी) केवल उन मामलों पर लागू होता है जो धारा 4 के प्रावधान और नियम 9 के पहले प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, न कि धारा 4 के दायरे में और नियम 9 का दायरा आने वाले मामलों पर। इसका परिणाम यह है कि जिन ट्रक ऑपरेटरों या मालिकों ने धारा 4 के पहले प्रावधान के तहत एकमुश्त माल कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है और नियम 9 के पहले प्रावधान के तहत एकमुश्त कर का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें यह करना होगा। माल कर अधिकारियों से निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से कर का भुगतान करें ताकि कराधान अधिनियम के तहत अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा सके और माल कर के बारे में कराधान अधिनियम की धारा 7 ए (बी) के अनुसार उन अधिकारियों को संतुष्ट किया जा सके। उस विशेष तिमाही में कर के भुगतान के लिए टोकन प्राप्त करने का हकदार होने से पहले प्रश्नगत तिमाही के संबंध में भुगतान किया गया है। साथ ही, ऐसे व्यक्ति के लिए जो 1952 के नियमों के नियम 9 के दायरे में प्रदान किए गए तरीके से मूल अधिनियम की धारा 4 के दायरे में कर का भुगतान करना चाहता है, अग्रिम माल कर का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा। उसके लिए ऐसा करना असंभव होगा। कराधान अधिनियम के तहत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को किसी भी तिमाही के लिए कर के भुगतान के लिए टोकन जारी करने से इस आधार पर इनकार करने के हकदार नहीं होंगे कि उसने उस तिमाही के लिए अग्रिम माल कर का भुगतान नहीं किया है। पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से पेश विद्वान वकील ने भी यही रुख अपनाया है और हमसे कराधान अधिनियम की धारा 7ए(बी) की इसी तरह से व्याख्या करने के लिए कहा है। हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नौबत सिंह ने हमें यह भी बताया कि उनकी सरकार पहले से ही कराधान अधिनियम की धारा 7ए(बी) में संशोधन करने के लिए कदम उठा रही है ताकि इसके आवेदन को स्पष्ट रूप से मामलों तक ही सीमित रखा जा सके। जब तक ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाता तब तक धारा 7ए(बी) को उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। इसे कार्यशील बनाने के लिए; अधिकारी एक मोटर वाहन ऑपरेटर या

⁵ A.I.R. 1955 S.C. ,830

नजर सिंह सरवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि(नरुला, नयायाधिपती)

मालिक द्वारा कराधान अधिकारियों को एकमुश्त आधार पर माल कर के भुगतान का विकल्प नहीं चुनने के बारे में घोषणा का एक फॉर्म निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी घोषणा दिए जाने पर, धारा 7ए(बी) ऐसे ऑपरेटर पर लागू नहीं होगी। यदि अधिकारियों को सलाह दी जाती है, तो वे ट्रक ऑपरेटरों या ट्रक मालिकों से मूल अधिनियम के तहत एकमुश्त आधार पर या अन्यथा कर का भुगतान करने के विकल्प के बारे में पहले से ही विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत आवश्यकताओं पर संबंधित राज्यों को काम करना होगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट हैं कि कराधान अधिनियम की धारा 7ए(बी) लागू करने का इरादा नहीं है और यह उन मामलों पर लागू नहीं होता है जिनमें माल कर एकमुश्त आधार पर देय नहीं है।

(6) हालाँकि याचिका में विभिन्न तर्क उठाए गए थे लेकिन उनमें से किसी को भी सुनवाई में नहीं रखा गया है। आक्षेपित प्रावधान के विरुद्ध निर्देशित हमले के दोनों आधार विफल होने के कारण, यह रिट याचिका सफल नहीं हो सकती है, और तदनुसार लागत सहित खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कुरुक्षेत्र, हरियाणा